

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग
अधिसूचना

सं०-एम०/सी०डी०-130/2016.....3107/आ०प्र०,

पटना, दिनांक 12 अक्टूबर, 2017

भारत का संविधान का अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, बिहार राज्यपाल आपदा प्रबंधन विभाग के अन्तर्गत नागरिक सुरक्षा निदेशालय के अधीन बिहार नागरिक सुरक्षा के क्षेत्रीय कार्यालयों के आशुलिपिक संवर्ग में भर्ती एवं सेवा शर्तों के विनियमन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ । (1) यह नियमावली "बिहार नागरिक सुरक्षा क्षेत्रीय आशुलिपिक संवर्ग नियमावली, 2017" कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएं। - जब तक विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में:-

(i) "सरकार" से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार;

(ii) "विभाग" से अभिप्रेत है आपदा प्रबंधन विभाग;

(iii) "आयोग" से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग;

(iv) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है महानिदेशक-सह-आयुक्त, नागरिक सुरक्षा, बिहार, पटना;

(v) "संवर्ग" से अभिप्रेत है बिहार नागरिक सुरक्षा क्षेत्रीय आशुलिपिक संवर्ग;

(vi) "परिशिष्ट" से अभिप्रेत है इस नियमावली के साथ संलग्न परिशिष्ट;

(vii) "निदेशालय" से अभिप्रेत है नागरिक सुरक्षा निदेशालय।

3. संवर्ग का गठन। - बिहार नागरिक सुरक्षा क्षेत्रीय आशुलिपिक संवर्ग राज्य स्तरीय होगा। इस संवर्ग में प्रत्येक कोटि के पदों की संख्या तथा संवर्ग के कुल पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत की जाय।

4. संवर्ग का पदसोपान। - इस संवर्ग में विभिन्न कोटियों और पदसोपान परिशिष्ट-1 के अनुसार होंगे। परिशिष्ट-1 में उल्लिखित इस संवर्ग के पदों पर इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व से नियुक्त, प्रोन्नत एवं कार्यरत कर्मी इस संवर्ग में स्वतः शामिल समझे जायेंगे।

5. भर्ती। - इस संवर्ग में नियुक्ति मूल कोटि (आशुलिपिक) के पद पर आयोग की अनुशंसा के आधार पर सीधी भर्ती से होगी।

6. अर्हताएँ। - (1) आशुलिपिक के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिये, न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता इन्टरमीडिएट (10+2) उत्तीर्ण अथवा समकक्ष होगी। इसके अतिरिक्त आशुलेखन, टंकण एवं कम्प्यूटर में दक्षता आवश्यक अर्हताएँ होगी।

(2) बिहार नागरिक सुरक्षा क्षेत्रीय आशुलिपिक संवर्ग में सीधी भर्ती के लिये न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होगी और अधिकतम उम्र वही होगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर आरक्षण कोटिवार विनिश्चित की जाय।

(3) विज्ञापन वर्ष की 1 ली अगस्त को, उम्र के अवधारणार्थ, कट ऑफ डेट माना जायेगा।

7. **भर्ती की प्रक्रिया।** – (1) नियुक्ति प्राधिकार वर्ष की 1 ली अप्रैल की स्थिति के आधार पर रिक्ति की गणना कर मूल कोटि में सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों अवधारित करेगा और रोस्टर क्लीयरेन्स कराकर आरक्षण कोटिवार अधियाचना आयोग को 30 अप्रैल तक भेजेगा।

(2) आयोग, लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त न्यूनतम अर्हतांक एवं व्यावहारिक दक्षता जाँच के आधार पर, एक मेधा सूची तैयार करेगा। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा इन्टर (10+2) स्तरीय होगा। आशुलेखन जाँच की अर्हता स्तर 80 शब्द प्रति मिनट तथा टंकण एवं कम्प्यूटर दक्षता 30 शब्द प्रतिमिनट होगी। सफल होने के लिये आशुलेखन गति में 10 प्रतिशत एवं टंकण में 1.5 प्रतिशत से अधिक अशुद्धि मान्य नहीं होगी।

(3) उपनियम (2) के आधार पर मेधा सूची तैयार करने के पश्चात्, आयोग द्वारा प्रमाण पत्र की प्रारंभिक जांच एवं स्वास्थ्य जांच करायी जायेगी और तत्पश्चात् अधियाचित रिक्तियों के अनुसार आरक्षण कोटिवार, अंतिम अनुशंसा नियुक्ति प्राधिकार को भेजी जायेगी। नियुक्ति प्राधिकार के स्तर पर भी प्रमाण पत्रों की जांच के पश्चात् अनुशंसित अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त का सत्यापन करा लिया जायेगा।

(4) आयोग की अनुशंसा के उपरांत, नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में सरकार द्वारा, समय-समय पर, निर्गत अनुदेश का अनुपालन आवश्यक होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकार के द्वारा नियुक्ति हेतु आदेश निर्गत किए जाने के पश्चात् ही योगदान स्वीकृत किया जाएगा।

8. **परिवीक्षा अवधि।** – नवनियुक्त अभ्यर्थी परिवीक्षाधीन रहेंगे। परिवीक्षा अवधि दो वर्षों की होगी। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की दशा में परिवीक्षा अवधि का विस्तार एक वर्ष के लिये किया जा सकेगा। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पायी जायेगी तो नियुक्ति प्राधिकार ऐसे आशुलिपिक को बिना किसी सूचना के सेवामुक्त कर सकेगा।

9. **प्रशिक्षण।** – परिवीक्षाधीन आशुलिपिक को ऐसे प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक करना होगा, जो विभाग/निदेशालय द्वारा विनिश्चित किया जाय।

10. **विभागीय परीक्षा।** – (1) नियुक्त आशुलिपिक को राजस्व पर्वद की केन्द्रीय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

(2) बिहार सरकारी सेवक (सम्पुष्टि के लिए कम्प्यूटर सक्षमता) नियमावली, 2011 के प्रावधान इस संवर्ग पर लागू होंगे।

(3) विभागीय परीक्षा आशुलेखन, कम्प्यूटर टंकण एवं कम्प्यूटर दक्षता की जाँच के लिए होगी, जिसमें आशुलेखन एवं कम्प्यूटर टंकण में गति क्रमशः 80 एवं 30 शब्द प्रतिमिनट होगी। विभागीय परीक्षा में असफल होने पर प्रथम वेतनबृद्धि के बाद आगे की वेतनबृद्धि विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होने तक रोक दी जायेगी।

11. **सम्पुष्टि**। – परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक पूर्ण होने, प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने और विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त आशुलिपिक को सेवा में संपुष्ट किया जा सकेगा।

12. **वरीयता**। – आशुलिपिक की आपसी वरीयता, आयोग द्वारा अवधारित मेधा सूची के अनुसार, अवधारित की जाएगी किन्तु इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व विनिश्चित आपसी वरीयता अपरिवर्तनीय रहेगी।

13. **प्रोन्नति के सोपान**। – (1) सेवा में सम्पुष्ट आशुलिपिकों को, रिक्ति की उपलब्धता के अधीन रहते हुये, योग्यता-सह-वरीयता के अनुसार, परिशिष्ट-1 में उल्लिखित प्रोन्नति के पदों पर प्रोन्नति दिये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(2) प्रोन्नति के लिये सरकार द्वारा, समय-समय पर, निर्गत कालावधि संबंधी अनुदेश का अनुपालन आवश्यक होगा।

(3) सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत प्रोन्नति संबंधी चारित्री या पी०ए०आर० संबंधी/आरोप, विभागीय कार्यवाही/आपराधिक कार्यवाही आदि संबंधी अनुदेशों का, प्रोन्नति पर विचार के समय अनुपालन करना अपेक्षित होगा।

14. **विभागीय प्रोन्नति समिति**। – प्रोन्नति, विभाग द्वारा गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर, दी जाएगी।

15. **आरक्षण**। – सरकार के आरक्षण अधिनियम और सरकार द्वारा, समय-समय पर, सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति हेतु निर्गत आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

16. **परिशिष्ट-1** – में उल्लिखित पद सोपान, सरकार के अनुमोदन के पश्चात् ही, प्रभावी होगा। अनुमोदन पर विचार के क्रम में सरकार द्वारा परिशिष्ट-1 में अंकित पद सोपान में कोई परिवर्तन या संशोधन किया जाता है तो परिशिष्ट-1 तदनुसार परिवर्तित या संशोधित समझा जायेगा और ऐसा परिवर्तित/संशोधित पद सोपान इस नियमावली का अंग माना जायेगा।

17. **प्रकीर्ण विषय**। – इस नियमावली के अधीन जारी किए गए आदेशों से अनाच्छादित मामलों के संदर्भ में इस सेवा के सदस्य राज्य सरकार के समुचित स्तर के कार्मिकों के संबंध में लागू संहितायें/नियमावली/संकल्प/अनुदेश द्वारा शासित होंगे।

18. **निर्वचन**। – इस नियमावली के किसी उपबंध के निर्वचन के संबंध में यदि कोई शंका उत्पन्न हो तो विषय विभाग को निर्देशित किया जाएगा और इस संबंध में विभाग द्वारा, विधि विभाग के परामर्श के पश्चात्, किया गया विनिश्चय अंतिम होगा।

19. **विनियमावली बनाने की शक्ति**। – इस नियमावली में विहित प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकार विनियमावली बना सकेगी।

20. निरसन एवं व्यावृत्ति। - (1) इस सेवा/सम्बर्ग के संबंध में विभाग द्वारा, समय-समय पर, पूर्व में निर्गत संकल्प/नियमावली/आदेश आदि एतद् द्वारा निरसित किए जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी उक्त संकल्प/नियमावली/आदेश आदि के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया, की गई समझी जाएगी, मानो यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत्त थी, जिस तिथि को ऐसा कोई कार्य या ऐसी कोई कार्रवाई की गयी थी।

परिशिष्ट-1

[नियम 2 (vi), 4,13,16 द्रष्टव्य]
बिहार नागरिक सुरक्षा क्षेत्रीय आशुलिपिक संवर्ग का पद सोपान

क्रमांक	कोटि	पदनाम	सीधी भर्ती या प्रोन्नति	अभ्युक्ति
1	मूल कोटि	आशुलिपिक	सीधी भर्ती द्वारा	
2	प्रथम प्रोन्नति के पद	वरीय आशुलिपिक	नियमित रूप से नियुक्त आशुलिपिक पद से प्रोन्नति द्वारा	
3	द्वितीय प्रोन्नति के पद	निजी सहायक	वरीय आशुलिपिक पद से प्रोन्नति द्वारा	
4	तृतीय प्रोन्नति के पद	वरीय निजी सहायक	निजी सहायक पद से प्रोन्नति द्वारा	

नोट:-उपर्युक्त सभी कोटियों का वेतन बैंड एवं ग्रेड-पे वही होगा जो सरकार द्वारा, समय-समय पर, अवधारित किया जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(प्रत्यय अमृत)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक:-एम०/सी०डी० 130/2016.....³¹⁰⁷...../आ०प्र०

पटना, दिनांक.....¹².....अक्टूबर, 2017

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ और इसकी 500 (पाँच सौ) मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को भेजने के अनुरोध के साथ प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापकः-एम०/सी०डी० 130/2016.....3107/आ०प्र०

पटना, दिनांक 13 अक्टूबर, 2017

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मंत्री, आपदा प्रबन्धन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/महानिदेशक-सह-आयुक्त, नागरिक सुरक्षा, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-सभी जिलाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आई० टी० मैनेजर, आपदा प्रबन्धन विभाग, बिहार, पटना को बेवसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव